



नगर निगम, रोहतक
Municipal Corporation, Rohtak

संपत्ति कर बिल सह नोटिस 2018-19 / Property Tax Bill Cum Notice 2018-19

Property ID	193C1U11	House No		Old Ast./Wrd No.		Ward No.	8
Bill No	MCR/0669397	Bill Date	14/May/2018	Colony Code/Name	193/Sector 27A	Zone	

Particulars of Owner(s)/Occupier(s)				U/S 130 Manner of recovering tax or fee - जो भी राशि जो हाउस टैक्स से सम्बंधित है जोकि U/S 130 अधिनियम के तहत आती है उसकी अदायगी की वसूली जोकि निम्नलिखित तरीकों से की जा सकेगी:- 1. भू-राजस्व की बकाया राशि। 2. या फिर जब्त करके और डिफाल्टर की चल प्रोपर्टी बेचकर वसूल की जा सकती है। 3. या फिर डिफाल्टर की प्रोपर्टी अचल अटैच करके का बेचकर। 4. या फिर डिफाल्टर के वाहन (कार, स्कूटर व अन्य वाहन) को काबू करके या बेचकर वसूल कर सकते हैं। 5. अगर हाउस टैक्स किसी भूमि या फिर किसी भवन का है तो उसे अटैच करके उसके किराये को जब्त करके वसूल किया जा सकता है। 6. कोर्ट में केस डालकर।			
Name							
S/D/W/o							
Address				Delhi Road, Sector 27A, Rohtak			
Mobile							

* नोट: - यह संपत्ति कर बिल एवं नोटिस केवल संपत्ति कर उद्देश्य के लिए है जो संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण नहीं है और किसी दस्तावेज़ के पंजीकरण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। सम्पत्ति मालिकों से अनुरोध है कि वे अपना फोन नंबर अपनी प्रॉपर्टी आई0 डी0 के साथ निगम कार्यालय में दर्ज कराये ताकि सरकार द्वारा समय समय पर दी जाने वाली छूट और नीति परिवर्तन के बारे में अवगत कराया जा सके।

* नगर निगम, रोहतक द्वारा सम्पत्तिकर सर्वे के उपरांत निम्न वर्णित सम्पत्ति का कर आंकलन एवं सूचना जारी की गई है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने की सूरत में सबूत के साथ प्रतिवेदन कर सकते हैं। अन्यथा अपना कर जमा करवायें। कर जमा ना कराने की सूरत में देय राशि पर 1.5 प्रतिशत मासिक ब्याज देना होगा। नगर निगम द्वारा सरकार की हिदायत अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक चालू वित्तीय वर्ष का संपत्तिकर जमा करने पर 10% छूट दी जाएगी बशर्ते उस संपत्ति पर कोई पिछला बकाया ना हो, सरकार द्वारा सम्पत्तिकर के लिए स्वयं आंकलन का प्रावधान भी किया हुआ है, कर दाता अपनी संपत्ति का स्वयं आंकलन सरकार की कर नीति के अनुसार कर सकते हैं, स्वयं आंकलन से कर जमा करने पर कर की गणना में 10% से अधिक भिन्नता पाये जाने पर गलत घोषणा की दशा में कर अवंचन की राशि के समकक्ष शास्ति उदग्रहीत की जायेगी।

* हरियाणा सरकार की अधिसूचना नम्बर 14/153-2011-4C/दिनांक 24-10-2011 के अनुसार ठोस कूड़ा प्रबन्धन के लिए User Charges लगाये हुए हैं, जिस की गणना निम्न तालिका के कॉलम W व X में वर्णित की गयी है। यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष का अग्रिम user charges जमा करता है तो वह एक वर्ष के user charges पर 10% छूट का पात्र होगा। परन्तु यह छूट प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई तक user charges जमा कराने पर दी जाएगी।

सर्वेक्षण के अनुसार नगर निगम द्वारा लगाए गए करो का विवरण / As per survey, details of the taxes imposed by the Municipal Corporation

Property and Fire Tax Details (Amount in Rupees)

Total Plot Area (Sqr. Yrd)	Floor	Category	Sub Category	Covered Area	Usage (S/R)	Tax Rate (₹)	Property Tax Annual (₹)	Fire Tax Annual (₹)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
2380.00		VP-Resi	-	0.00	S	0.750	1785.00	0.00
Total:				0.00			1785.00	0.00
Payable Annually:							1785.00	

Property Tax Collection & Arrear Detail (Amount in Rupees)

Arrear as on 31/03/2011		Demand from 01/04/2011 to 31/03/2018		Collection from 01/04/2011 to 31/03/2018		Arrear as on 01/04/2018		Interest	Total
P. Tax (₹)	F. Tax (₹)	P. Tax (₹)	F. Tax (₹)	P. Tax (₹)	F. Tax (₹)	P. Tax (₹)	F. Tax (₹)	@1.5% per month (₹)	(₹)
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
0.00	0.00	12495.00	0.00	0.00	0.00	12495.00	0.00	8996.40	21491.40

User Charges Details (Amount in Rupees)

Total Plot Area (Sqr. Yrd)	Property Category	User Charges Rate (monthly) (₹)	User Charges Amt (annual) (₹)	User Charges Amt (annual, if paid by 31/07/2018) (₹)
T	U	V	W	X
2380.00	VP	0	0	0

Payment can be deposited at the office of Municipal Corporation, Rohtak, through an A/c payee cheque or a demand draft in favour of, 'Commissioner, Municipal Corporation, Rohtak'. No Cheque will be accepted until the 'Permanent property ID', 'phone number', 'assessment year' is mentioned on the back of cheque.	Property Tax (Y) = (H + P + R):	₹ 23276.40
	10% Rebate if complete amount paid by 31-07-2018:	₹ -178.5
	Property Tax by 31-07-2018 (Z):	₹ 23097.9
	Fire Tax (AA) = (I + Q):	₹ 0.00
	Payment Rcvd in 2018-19 (P. Tax + F. Tax + Interest + User Charges) (AB)	₹ 0.00
	Grand Total (X + Z + AA - AB):	₹ 23098
	If paid after 31-07-2018 - Grand Total (W + Y + AA - AB):	₹ 23276

यह बिल कंप्यूटर द्वारा मुद्रित है अतः इस पर नगर निगम, रोहतक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर पूर्व मुद्रित है | This is Computer generated bill, Hence the signature of Authorised Official of M.C. Rohtak is already printed.


नगर निगम, रोहतक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर/
Signature of Authorised Official of M.C. Rohtak



नगर निगम, रोहतक
Municipal Corporation, Rohtak

संपत्ति कर बिल सह नोटिस 2018-19 / Property Tax Bill Cum Notice 2018-19

Property ID	193C2U10	House No		Old Ast./Wrd No.		Ward No.	8
Bill No	MCR/0669398	Bill Date	14/May/2018	Colony Code/Name	193/Sector 27A	Zone	

Particulars of Owner(s)/Occupier(s)				U/S 130 Manner of recovering tax or fee - जो भी राशि जो हाउस टैक्स से सम्बंधित है जोकि U/S 130 अधिनियम के तहत आती है उसकी अदायगी की वसूली जोकि निम्नलिखित तरीकों से की जा सकेगी:- 1. भू-राजस्व की बकाया राशि। 2. या फिर जब्त करके और डिफाल्टर की चल प्रॉपर्टी बेचकर वसूल की जा सकती है। 3. या फिर डिफाल्टर की प्रॉपर्टी अचल अटैच करके का बेचकर। 4. या फिर डिफाल्टर के वाहन (कार, स्कूटर व अन्य वाहन) को काबू करके या बेचकर वसूल कर सकते हैं। 5. अगर हाउस टैक्स किसी भूमि या फिर किसी भवन का है तो उसे अटैच करके उसके किराये को जब्त करके वसूल किया जा सकता है। 6. कोर्ट में केस डालकर।			
Name	Sindhu Farms						
S/D/W/o							
Address	Indus Public School, Opp DAV Public School, Delhi Road, Sector 27A, Rohtak						
Mobile							

*** नोट: - यह संपत्ति कर बिल एवं नोटिस केवल संपत्ति कर उद्देश्य के लिए है जो संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण नहीं है और किसी दस्तावेज़ के पंजीकरण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। संपत्ति मालिकों से अनुरोध है कि वे अपना फ़ोन नंबर अपनी प्रॉपर्टी आई0 डी0 के साथ निगम कार्यालय में दर्ज कराये ताकि सरकार द्वारा समय समय पर दी जाने वाली छूट और नीति परिवर्तन के बारे में अवगत कराया जा सके।**

* नगर निगम, रोहतक द्वारा सम्पत्तिकर सर्वे के उपरांत निम्न वर्णित सम्पत्ति का कर आंकलन एवं सूचना जारी की गई है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने की सूरत में सबूत के साथ प्रतिवेदन कर सकते हैं। अन्यथा अपना कर जमा करवायें। कर जमा ना कराने की सूरत में देय राशि पर 1.5 प्रतिशत मासिक ब्याज देना होगा। नगर निगम द्वारा सरकार की हिदायत अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक चालू वित्तीय वर्ष का संपत्तिकर जमा करने पर 10% छूट दी जाएगी बशर्ते उस संपत्ति पर कोई पिछला बकाया ना हो, सरकार द्वारा सम्पत्तिकर के लिए स्वयं आंकलन का प्रावधान भी किया हुआ है, कर दाता अपनी संपत्ति का स्वयं आंकलन सरकार की कर नीति के अनुसार कर सकते हैं, स्वयं आंकलन से कर जमा करने पर कर की गणना में 10% से अधिक भिन्नता पाये जाने पर गलत घोषणा की दशा में कर अवंचन की राशि के समकक्ष शास्ति उदग्रहीत की जायेगी।

* हरियाणा सरकार की अधिसूचना नम्बर 14/153-2011-4C/दिनांक 24-10-2011 के अनुसार ठोस कड़ा प्रबन्धन के लिए User Charges लगाये हुए हैं, जिस की गणना निम्न तालिका के कॉलम W व X में वर्णित की गयी है। यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष का अग्रिम user charges जमा करता है तो वह एक वर्ष के user charges पर 10% छूट का पात्र होगा। परन्तु यह छूट प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई तक user charges जमा कराने पर दी जाएगी।

सर्वेक्षण के अनुसार नगर निगम द्वारा लगाए गए करो का विवरण / As per survey, details of the taxes imposed by the Municipal Corporation

Property and Fire Tax Details (Amount in Rupees)

Total Plot Area (Sqr. Yrd)	Floor	Category	Sub Category	Covered Area	Usage (S/R)	Tax Rate (₹)	Property Tax Annual (₹)	Fire Tax Annual (₹)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
16262.00	GF	Inst	Edu	10000.00	S	187500.000	187500.00	18750.00
-	1F	Inst	Edu	10000.00	S	187500.000	0.00	0.00
-	2F	Inst	Edu	10000.00	S	187500.000	0.00	0.00
-	B1	Inst	Edu	10000.00	S	187500.000	0.00	0.00
Total:				40000.00			187500.00	18750.00

Payable Annually: 206250.00

Property Tax Collection & Arrear Detail (Amount in Rupees)

Arrear as on 31/03/2011		Demand from 01/04/2011 to 31/03/2018		Collection from 01/04/2011 to 31/03/2018		Arrear as on 01/04/2018		Interest	Total
P. Tax (₹)	F. Tax (₹)	P. Tax (₹)	F. Tax (₹)	P. Tax (₹)	F. Tax (₹)	P. Tax (₹)	F. Tax (₹)	@1.5% per month (₹)	(₹)
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
0.00	0.00	1312500.00	131250.00	1312500.00	131250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

User Charges Details (Amount in Rupees)

Total Plot Area (Sqr. Yrd)	Property Category	User Charges Rate (monthly) (₹)	User Charges Amt (annual) (₹)	User Charges Amt (annual, if paid by 31/07/2018) (₹)
T	U	V	W	X
16262.00	Inst - Edu	500	6000	5400

Payment can be deposited at the office of Municipal Corporation, Rohtak, through an A/c payee cheque or a demand draft in favour of, 'Commissioner, Municipal Corporation, Rohtak'. No Cheque will be accepted until the 'Permanent property ID', 'phone number', 'assessment year' is mentioned on the back of cheque.	Property Tax (Y) = (H + P + R):	₹ 187500.00
	10% Rebate if complete amount paid by 31-07-2018:	₹ -18750
	Property Tax by 31-07-2018 (Z):	₹ 168750
	Fire Tax (AA) = (I + Q):	₹ 18750.00
	Payment Rcvd in 2018-19 (P. Tax + F. Tax + Interest + User Charges) (AB)	₹ 0.00
	Grand Total (X + Z + AA - AB):	₹ 192900
	If paid after 31-07-2018 - Grand Total (W + Y + AA - AB):	₹ 212250

यह बिल कंप्यूटर द्वारा मुद्रित है अतः इस पर नगर निगम, रोहतक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर पूर्व मुद्रित है | This is Computer generated bill, Hence the signature of Authorised Official of M.C. Rohtak is already printed.


नगर निगम, रोहतक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर/
Signature of Authorised Official of M.C. Rohtak



नगर निगम, रोहतक
Municipal Corporation, Rohtak

संपत्ति कर बिल सह नोटिस 2018-19 / Property Tax Bill Cum Notice 2018-19

Property ID	193C3U4	House No		Old Ast./Wrd No.		Ward No.	8
Bill No	MCR/0669399	Bill Date	14/May/2018	Colony Code/Name	193/Sector 27A	Zone	

Particulars of Owner(s)/Occupier(s)				U/S 130 Manner of recovering tax or fee - जो भी राशि जो हाउस टैक्स से सम्बंधित है जोकि U/S 130 अधिनियम के तहत आती है उसकी अदायगी की वसूली जोकि निम्नलिखित तरीकों से की जा सकेगी:- 1. भू-राजस्व की बकाया राशि। 2. या फिर जब्त करके और डिफाल्टर की चल प्रोपर्टी बेचकर वसूल की जा सकती है। 3. या फिर डिफाल्टर की प्रोपर्टी अचल अटैच करके का बेचकर। 4. या फिर डिफाल्टर के वाहन (कार, स्कूटर व अन्य वाहन) को काबू करके या बेचकर वसूल कर सकते हैं। 5. अगर हाउस टैक्स किसी भूमि या फिर किसी भवन का है तो उसे अटैच करके उसके किराये को जब्त करके वसूल किया जा सकता है। 6. कोर्ट में केस डालकर।			
Name							
S/D/W/o							
Address				Delhi Road, Sector 27A, Rohtak			
Mobile							

* नोट: - यह संपत्ति कर बिल एवं नोटिस केवल संपत्ति कर उद्देश्य के लिए है जो संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण नहीं है और किसी दस्तावेज़ के पंजीकरण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। सम्पत्ति मालिकों से अनुरोध है कि वे अपना फोन नंबर अपनी प्रॉपर्टी आई0 डी0 के साथ निगम कार्यालय में दर्ज कराये ताकि सरकार द्वारा समय समय पर दी जाने वाली छूट और नीति परिवर्तन के बारे में अवगत कराया जा सके।

* नगर निगम, रोहतक द्वारा सम्पत्तिकर सर्वे के उपरांत निम्न वर्णित सम्पत्ति का कर आंकलन एवं सूचना जारी की गई है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने की सूरत में सबूत के साथ प्रतिवेदन कर सकते हैं। अन्यथा अपना कर जमा करवायें। कर जमा ना कराने की सूरत में देय राशि पर 1.5 प्रतिशत मासिक ब्याज देना होगा। नगर निगम द्वारा सरकार की हिदायत अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक चालू वित्तीय वर्ष का संपत्तिकर जमा करने पर 10% छूट दी जाएगी बशर्ते उस संपत्ति पर कोई पिछला बकाया ना हो, सरकार द्वारा सम्पत्तिकर के लिए स्वयं आंकलन का प्रावधान भी किया हुआ है, कर दाता अपनी संपत्ति का स्वयं आंकलन सरकार की कर नीति के अनुसार कर सकते हैं, स्वयं आंकलन से कर जमा करने पर कर की गणना में 10% से अधिक भिन्नता पाये जाने पर गलत घोषणा की दशा में कर अवंचन की राशि के समकक्ष शास्ति उदग्रहीत की जायेगी।

* हरियाणा सरकार की अधिसूचना नम्बर 14/153-2011-4C/दिनांक 24-10-2011 के अनुसार ठोस कूड़ा प्रबन्धन के लिए User Charges लगाये हुए हैं, जिस की गणना निम्न तालिका के कॉलम W व X में वर्णित की गयी है। यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष का अग्रिम user charges जमा करता है तो वह एक वर्ष के user charges पर 10% छूट का पात्र होगा। परन्तु यह छूट प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई तक user charges जमा कराने पर दी जाएगी।

सर्वेक्षण के अनुसार नगर निगम द्वारा लगाए गए करों का विवरण / As per survey, details of the taxes imposed by the Municipal Corporation

Property and Fire Tax Details (Amount in Rupees)

Total Plot Area (Sqr. Yrd)	Floor	Category	Sub Category	Covered Area	Usage (S/R)	Tax Rate (₹)	Property Tax Annual (₹)	Fire Tax Annual (₹)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
60.00	GF	Resi	-	540.00	S	0.750	45.00	0.00
Total:				540.00			45.00	0.00
Payable Annually:							45.00	

Property Tax Collection & Arrear Detail (Amount in Rupees)

Arrear as on 31/03/2011		Demand from 01/04/2011 to 31/03/2018		Collection from 01/04/2011 to 31/03/2018		Arrear as on 01/04/2018		Interest	Total
P. Tax (₹)	F. Tax (₹)	P. Tax (₹)	F. Tax (₹)	P. Tax (₹)	F. Tax (₹)	P. Tax (₹)	F. Tax (₹)	@1.5% per month (₹)	(₹)
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	226.80	541.80

User Charges Details (Amount in Rupees)

Total Plot Area (Sqr. Yrd)	Property Category	User Charges Rate (monthly) (₹)	User Charges Amt (annual) (₹)	User Charges Amt (annual, if paid by 31/07/2018) (₹)
T	U	V	W	X
60.00	Resi	20	240	216

Payment can be deposited at the office of Municipal Corporation, Rohtak, through an A/c payee cheque or a demand draft in favour of, 'Commissioner, Municipal Corporation, Rohtak'. No Cheque will be accepted until the 'Permanent property ID', 'phone number', 'assessment year' is mentioned on the back of cheque.	Property Tax (Y) = (H + P + R):	₹ 586.80
	10% Rebate if complete amount paid by 31-07-2018:	₹ -4.5
	Property Tax by 31-07-2018 (Z):	₹ 582.3
	Fire Tax (AA) = (I + Q):	₹ 0.00
	Payment Rcvd in 2018-19 (P. Tax + F. Tax + Interest + User Charges) (AB)	₹ 0.00
	Grand Total (X + Z + AA - AB):	₹ 798
	If paid after 31-07-2018 - Grand Total (W + Y + AA - AB):	₹ 827

यह बिल कंप्यूटर द्वारा मुद्रित है अतः इस पर नगर निगम, रोहतक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर पूर्व मुद्रित है | This is Computer generated bill, Hence the signature of Authorised Official of M.C. Rohtak is already printed.


नगर निगम, रोहतक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर/
Signature of Authorised Official of M.C. Rohtak



नगर निगम, रोहतक
Municipal Corporation, Rohtak

संपत्ति कर बिल सह नोटिस 2018-19 / Property Tax Bill Cum Notice 2018-19

Property ID	193C4U3	House No		Old Ast./Wrd No.		Ward No.	8
Bill No	MCR/0669400	Bill Date	14/May/2018	Colony Code/Name	193/Sector 27A	Zone	

Particulars of Owner(s)/Occupier(s)		U/S 130 Manner of recovering tax or fee - जो भी राशि जो हाउस टैक्स से सम्बंधित है जोकि U/S 130 अधिनियम के तहत आती है उसकी अदायगी की वसूली जोकि निम्नलिखित तरीकों से की जा सकेगी:- 1. भू-राजस्व की बकाया राशि। 2. या फिर जब्त करके और डिफाल्टर की चल प्रोपर्टी बेचकर वसूल की जा सकती है। 3. या फिर डिफाल्टर की प्रोपर्टी अचल अटैच करके का बेचकर। 4. या फिर डिफाल्टर के वाहन (कार, स्कूटर व अन्य वाहन) को काबू करके या बेचकर वसूल कर सकते हैं। 5. अगर हाउस टैक्स किसी भूमि या फिर किसी भवन का है तो उसे अटैच करके उसके किराये को जब्त करके वसूल किया जा सकता है। 6. कोर्ट में केस डालकर।
Name		
S/D/W/o		
Address Near DAV Public Rohtak, Delhi Road, Sector 27A, Rohtak		
Mobile		

*** नोट: - यह संपत्ति कर बिल एवं नोटिस केवल संपत्ति कर उद्देश्य के लिए है जो संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण नहीं है और किसी दस्तावेज़ के पंजीकरण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। संपत्ति मालिकों से अनुरोध है कि वे अपना फ़ोन नंबर अपनी प्रॉपर्टी आई0 डी0 के साथ निगम कार्यालय में दर्ज कराये ताकि सरकार द्वारा समय समय पर दी जाने वाली छूट और नीति परिवर्तन के बारे में अवगत कराया जा सके।**

* नगर निगम, रोहतक द्वारा सम्पत्तिकर सर्वे के उपरांत निम्न वर्णित सम्पत्ति का कर आंकलन एवं सूचना जारी की गई है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने की सूरत में सबूत के साथ प्रतिवेदन कर सकते हैं। अन्यथा अपना कर जमा करवायें। कर जमा ना कराने की सूरत में देय राशि पर 1.5 प्रतिशत मासिक ब्याज देना होगा। नगर निगम द्वारा सरकार की हिदायत अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक चालू वित्तीय वर्ष का संपत्तिकर जमा करने पर 10% छूट दी जाएगी बशर्ते उस संपत्ति पर कोई पिछला बकाया ना हो, सरकार द्वारा सम्पत्तिकर के लिए स्वयं आंकलन का प्रावधान भी किया हुआ है, कर दाता अपनी संपत्ति का स्वयं आंकलन सरकार की कर नीति के अनुसार कर सकते हैं, स्वयं आंकलन से कर जमा करने पर कर की गणना में 10% से अधिक भिन्नता पाये जाने पर गलत घोषणा की दशा में कर अवंचन की राशि के समकक्ष शास्ति उदग्रहीत की जायेगी।
* हरियाणा सरकार की अधिसूचना नम्बर 14/153-2011-4C/दिनांक 24-10-2011 के अनुसार ठोस कूड़ा प्रबन्धन के लिए User Charges लगाये हुए हैं, जिस की गणना निम्न तालिका के कॉलम W व X में वर्णित की गयी है। यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष का अग्रिम user charges जमा करता है तो वह एक वर्ष के user charges पर 10% छूट का पात्र होगा। परन्तु यह छूट प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई तक user charges जमा कराने पर दी जाएगी।

सर्वेक्षण के अनुसार नगर निगम द्वारा लगाए गए करों का विवरण / As per survey, details of the taxes imposed by the Municipal Corporation

Property and Fire Tax Details (Amount in Rupees)

Total Plot Area (Sqr. Yrd)	Floor	Category	Sub Category	Covered Area	Usage (S/R)	Tax Rate (₹)	Property Tax Annual (₹)	Fire Tax Annual (₹)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
50.00	GF	Resi	-	450.00	S	0.750	37.50	0.00
Total:				450.00			37.50	0.00
Payable Annually:							37.50	

Property Tax Collection & Arrear Detail (Amount in Rupees)

Arrear as on 31/03/2011		Demand from 01/04/2011 to 31/03/2018		Collection from 01/04/2011 to 31/03/2018		Arrear as on 01/04/2018		Interest	Total
P. Tax (₹)	F. Tax (₹)	P. Tax (₹)	F. Tax (₹)	P. Tax (₹)	F. Tax (₹)	P. Tax (₹)	F. Tax (₹)	@1.5% per month (₹)	(₹)
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
0.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	187.38	448.38

User Charges Details (Amount in Rupees)

Total Plot Area (Sqr. Yrd)	Property Category	User Charges Rate (monthly) (₹)	User Charges Amt (annual) (₹)	User Charges Amt (annual, if paid by 31/07/2018) (₹)
T	U	V	W	X
50.00	Resi	20	240	216

Payment can be deposited at the office of Municipal Corporation, Rohtak, through an A/c payee cheque or a demand draft in favour of, 'Commissioner, Municipal Corporation, Rohtak'. No Cheque will be accepted until the 'Permanent property ID', 'phone number', 'assessment year' is mentioned on the back of cheque.	Property Tax (Y) = (H + P + R):	₹ 485.88
	10% Rebate if complete amount paid by 31-07-2018:	₹ -3.75
	Property Tax by 31-07-2018 (Z):	₹ 482.13
	Fire Tax (AA) = (I + Q):	₹ 0.00
	Payment Rcvd in 2018-19 (P. Tax + F. Tax + Interest + User Charges) (AB)	₹ 0.00
	Grand Total (X + Z + AA - AB):	₹ 698
	If paid after 31-07-2018 - Grand Total (W + Y + AA - AB):	₹ 726

यह बिल कंप्यूटर द्वारा मुद्रित है अतः इस पर नगर निगम, रोहतक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर पूर्व मुद्रित है | This is Computer generated bill, Hence the signature of Authorised Official of M.C. Rohtak is already printed.


नगर निगम, रोहतक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर/
Signature of Authorised Official of M.C. Rohtak



नगर निगम, रोहतक
Municipal Corporation, Rohtak

संपत्ति कर बिल सह नोटिस 2018-19 / Property Tax Bill Cum Notice 2018-19

Property ID	193C5U2	House No		Old Ast./Wrd No.		Ward No.	8
Bill No	MCR/0669401	Bill Date	14/May/2018	Colony Code/Name	193/Sector 27A	Zone	

Particulars of Owner(s)/Occupier(s)		U/S 130 Manner of recovering tax or fee - जो भी राशि जो हाउस टैक्स से सम्बंधित है जोकि U/S 130 अधिनियम के तहत आती है उसकी अदायगी की वसूली जोकि निम्नलिखित तरीकों से की जा सकेगी:- 1. भू-राजस्व की बकाया राशि। 2. या फिर जब्त करके और डिफाल्टर की चल प्रोपर्टी बेचकर वसूल की जा सकती है। 3. या फिर डिफाल्टर की प्रोपर्टी अचल अटैच करके का बेचकर। 4. या फिर डिफाल्टर के वाहन (कार, स्कूटर व अन्य वाहन) को काबू करके या बेचकर वसूल कर सकते हैं। 5. अगर हाउस टैक्स किसी भूमि या फिर किसी भवन का है तो उसे अटैच करके उसके किराये को जब्त करके वसूल किया जा सकता है। 6. कोर्ट में केस डालकर।
Name		
S/D/W/o		
Address Near DAV Public Rohtak, Delhi Road, Sector 27A, Rohtak		
Mobile		

*** नोट: - यह संपत्ति कर बिल एवं नोटिस केवल संपत्ति कर उद्देश्य के लिए है जो संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण नहीं है और किसी दस्तावेज़ के पंजीकरण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। संपत्ति मालिकों से अनुरोध है कि वे अपना फ़ोन नंबर अपनी प्रॉपर्टी आई0 डी0 के साथ निगम कार्यालय में दर्ज कराये ताकि सरकार द्वारा समय समय पर दी जाने वाली छूट और नीति परिवर्तन के बारे में अवगत कराया जा सके।**

* नगर निगम, रोहतक द्वारा सम्पत्तिकर सर्वे के उपरांत निम्न वर्णित संपत्ति का कर आंकलन एवं सूचना जारी की गई है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने की सूरत में सबूत के साथ प्रतिवेदन कर सकते हैं। अन्यथा अपना कर जमा करवायें। कर जमा ना कराने की सूरत में देय राशि पर 1.5 प्रतिशत मासिक ब्याज देना होगा। नगर निगम द्वारा सरकार की हिदायत अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक चालू वित्तीय वर्ष का संपत्तिकर जमा करने पर 10% छूट दी जाएगी बशर्ते उस संपत्ति पर कोई पिछला बकाया ना हो, सरकार द्वारा सम्पत्तिकर के लिए स्वयं आंकलन का प्रावधान भी किया हुआ है, कर दाता अपनी संपत्ति का स्वयं आंकलन सरकार की कर नीति के अनुसार कर सकते हैं, स्वयं आंकलन से कर जमा करने पर कर की गणना में 10% से अधिक भिन्नता पाये जाने पर गलत घोषणा की दशा में कर अवंचन की राशि के समकक्ष शास्ति उदग्रहीत की जायेगी।
* हरियाणा सरकार की अधिसूचना नम्बर 14/153-2011-4C/दिनांक 24-10-2011 के अनुसार ठोस कूड़ा प्रबन्धन के लिए User Charges लगाये हुए हैं, जिस की गणना निम्न तालिका के कॉलम W व X में वर्णित की गयी है। यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष का अग्रिम user charges जमा करता है तो वह एक वर्ष के user charges पर 10% छूट का पात्र होगा। परन्तु यह छूट प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई तक user charges जमा कराने पर दी जाएगी।

सर्वेक्षण के अनुसार नगर निगम द्वारा लगाए गए करो का विवरण / As per survey, details of the taxes imposed by the Municipal Corporation

Property and Fire Tax Details (Amount in Rupees)

Total Plot Area (Sqr. Yrd)	Floor	Category	Sub Category	Covered Area	Usage (S/R)	Tax Rate (₹)	Property Tax Annual (₹)	Fire Tax Annual (₹)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
30890.00	GF	Resi	-	3690.00	S	7.500	3075.00	0.00
-	GF	Resi	-	274320.00	S	7.500	228600.00	0.00
Total:				278010.00			231675.00	0.00
Payable Annually:							231675.00	

Property Tax Collection & Arrear Detail (Amount in Rupees)

Arrear as on 31/03/2011		Demand from 01/04/2011 to 31/03/2018		Collection from 01/04/2011 to 31/03/2018		Arrear as on 01/04/2018		Interest	Total
P. Tax (₹)	F. Tax (₹)	P. Tax (₹)	F. Tax (₹)	P. Tax (₹)	F. Tax (₹)	P. Tax (₹)	F. Tax (₹)	@1.5% per month (₹)	(₹)
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
0.00	0.00	1621725.00	0.00	0.00	0.00	1621725.00	0.00	1167642.00	2789367.00

User Charges Details (Amount in Rupees)

Total Plot Area (Sqr. Yrd)	Property Category	User Charges Rate (monthly) (₹)	User Charges Amt (annual) (₹)	User Charges Amt (annual, if paid by 31/07/2018) (₹)
T	U	V	W	X
30890.00	Resi	100	1200	1080

Payment can be deposited at the office of Municipal Corporation, Rohtak, through an A/c payee cheque or a demand draft in favour of, 'Commissioner, Municipal Corporation, Rohtak'. No Cheque will be accepted until the 'Permanent property ID', 'phone number', 'assessment year' is mentioned on the back of cheque.	Property Tax (Y) = (H + P + R):	₹ 3021042.00
	10% Rebate if complete amount paid by 31-07-2018:	₹ -23167.5
	Property Tax by 31-07-2018 (Z):	₹ 2997874.5
	Fire Tax (AA) = (I + Q):	₹ 0.00
	Payment Rcvd in 2018-19 (P. Tax + F. Tax + Interest + User Charges) (AB)	₹ 0.00
	Grand Total (X + Z + AA - AB):	₹ 2998954
	If paid after 31-07-2018 - Grand Total (W + Y + AA - AB):	₹ 3022242

यह बिल कंप्यूटर द्वारा मुद्रित है अतः इस पर नगर निगम, रोहतक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर पूर्व मुद्रित है। This is Computer generated bill, Hence the signature of Authorised Official of M.C. Rohtak is already printed.


नगर निगम, रोहतक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर/
Signature of Authorised Official of M.C. Rohtak



नगर निगम, रोहतक
Municipal Corporation, Rohtak

संपत्ति कर बिल सह नोटिस 2018-19 / Property Tax Bill Cum Notice 2018-19

Property ID	193C6U1	House No		Old Ast./Wrd No.		Ward No.	8
Bill No	MCR/0669402	Bill Date	14/May/2018	Colony Code/Name	193/Sector 27A	Zone	

Particulars of Owner(s)/Occupier(s)				U/S 130 Manner of recovering tax or fee - जो भी राशि जो हाउस टैक्स से सम्बंधित है जोकि U/S 130 अधिनियम के तहत आती है उसकी अदायगी की वसूली जोकि निम्नलिखित तरीकों से की जा सकेगी:- 1. भू-राजस्व की बकाया राशि। 2. या फिर जब्त करके और डिफाल्टर की चल प्रोपर्टी बेचकर वसूल की जा सकती है। 3. या फिर डिफाल्टर की प्रोपर्टी अचल अटैच करके का बेचकर। 4. या फिर डिफाल्टर के वाहन (कार, स्कूटर व अन्य वाहन) को काबू करके या बेचकर वसूल कर सकते हैं। 5. अगर हाउस टैक्स किसी भूमि या फिर किसी भवन का है तो उसे अटैच करके उसके किराये को जब्त करके वसूल किया जा सकता है। 6. कोर्ट में केस डालकर।			
Name Haryana Telecom Ltd							
S/D/W/o							
Address Near DAV Public Rohtak, Delhi Road, Sector 27A, Rohtak							
Mobile							

*** नोट: - यह संपत्ति कर बिल एवं नोटिस केवल संपत्ति कर उद्देश्य के लिए है जो संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण नहीं है और किसी दस्तावेज़ के पंजीकरण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। सम्पत्ति मालिकों से अनुरोध है कि वे अपना फ़ोन नंबर अपनी प्रॉपर्टी आई0 डी0 के साथ निगम कार्यालय में दर्ज कराये ताकि सरकार द्वारा समय समय पर दी जाने वाली छूट और नीति परिवर्तन के बारे में अवगत कराया जा सके।**

* नगर निगम, रोहतक द्वारा सम्पत्तिकर सर्वे के उपरांत निम्न वर्णित सम्पत्ति का कर आंकलन एवं सूचना जारी की गई है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने की सूत्र में सबूत के साथ प्रतिवेदन कर सकते हैं। अन्यथा अपना कर जमा करवायें। कर जमा ना कराने की सूत्र में देय राशि पर 1.5 प्रतिशत मासिक ब्याज देना होगा। नगर निगम द्वारा सरकार की हिदायत अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक चालू वित्तीय वर्ष का संपत्तिकर जमा करने पर 10% छूट दी जाएगी बशर्ते उस संपत्ति पर कोई पिछला बकाया ना हो, सरकार द्वारा सम्पत्तिकर के लिए स्वयं आंकलन का प्रावधान भी किया हुआ है, कर दाता अपनी संपत्ति का स्वयं आंकलन सरकार की कर नीति के अनुसार कर सकते हैं, स्वयं आंकलन से कर जमा करने पर कर की गणना में 10% से अधिक भिन्नता पाये जाने पर गलत घोषणा की दशा में कर अवंचन की राशि के समकक्ष शास्ति उदग्रहीत की जायेगी।
* हरियाणा सरकार की अधिसूचना नम्बर 14/153-2011-4C/दिनांक 24-10-2011 के अनुसार ठोस कूड़ा प्रबन्धन के लिए User Charges लगाये हुए हैं, जिस की गणना निम्न तालिका के कॉलम W व X में वर्णित की गयी है। यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष का अग्रिम user charges जमा करता है तो वह एक वर्ष के user charges पर 10% छूट का पात्र होगा। परन्तु यह छूट प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई तक user charges जमा कराने पर दी जाएगी।

सर्वेक्षण के अनुसार नगर निगम द्वारा लगाए गए करो का विवरण / As per survey, details of the taxes imposed by the Municipal Corporation

Property and Fire Tax Details (Amount in Rupees)

Total Plot Area (Sqr. Yrd)	Floor	Category	Sub Category	Covered Area	Usage (S/R)	Tax Rate (₹)	Property Tax Annual (₹)	Fire Tax Annual (₹)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
95772.00	GF	Ind	-	861948.00	S	6.000	172698.00	17269.80
Total:				861948.00			172698.00	17269.80
Payable Annually:							189967.80	

Property Tax Collection & Arrear Detail (Amount in Rupees)

Arrear as on 31/03/2011		Demand from 01/04/2011 to 31/03/2018		Collection from 01/04/2011 to 31/03/2018		Arrear as on 01/04/2018		Interest	Total
P. Tax (₹)	F. Tax (₹)	P. Tax (₹)	F. Tax (₹)	P. Tax (₹)	F. Tax (₹)	P. Tax (₹)	F. Tax (₹)	@1.5% per month (₹)	(₹)
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
0.00	0.00	1208886.00	120888.60	1208886.00	120888.60	0.00	0.00	0.00	0.00

User Charges Details (Amount in Rupees)

Total Plot Area (Sqr. Yrd)	Property Category	User Charges Rate (monthly) (₹)	User Charges Amt (annual) (₹)	User Charges Amt (annual, if paid by 31/07/2018) (₹)
T	U	V	W	X
95772.00	Ind	47886	574632	517169

Payment can be deposited at the office of Municipal Corporation, Rohtak, through an A/c payee cheque or a demand draft in favour of, 'Commissioner, Municipal Corporation, Rohtak'. No Cheque will be accepted until the 'Permanent property ID', 'phone number', 'assessment year' is mentioned on the back of cheque.	Property Tax (Y) = (H + P + R):	₹ 172698.00
	10% Rebate if complete amount paid by 31-07-2018:	₹ -17269.8
	Property Tax by 31-07-2018 (Z):	₹ 155428.2
	Fire Tax (AA) = (I + Q):	₹ 17269.80
	Payment Rcvd in 2018-19 (P. Tax + F. Tax + Interest + User Charges) (AB)	₹ 0.00
	Grand Total (X + Z + AA - AB):	₹ 689867
If paid after 31-07-2018 - Grand Total (W + Y + AA - AB):	₹ 764600	

यह बिल कंप्यूटर द्वारा मुद्रित है अतः इस पर नगर निगम, रोहतक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर पूर्व मुद्रित है | This is Computer generated bill, Hence the signature of Authorised Official of M.C. Rohtak is already printed.


नगर निगम, रोहतक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर/
Signature of Authorised Official of M.C. Rohtak



नगर निगम, रोहतक
Municipal Corporation, Rohtak

संपत्ति कर बिल सह नोटिस 2018-19 / Property Tax Bill Cum Notice 2018-19

Property ID	193C7U1	House No		Old Ast./Wrd No.		Ward No.	8
Bill No	MCR/0669403	Bill Date	14/May/2018	Colony Code/Name	193/Sector 27A	Zone	

Particulars of Owner(s)/Occupier(s)				U/S 130 Manner of recovering tax or fee - जो भी राशि जो हाउस टैक्स से सम्बंधित है जोकि U/S 130 अधिनियम के तहत आती है उसकी अदायगी की वसूली जोकि निम्नलिखित तरीकों से की जा सकेगी:- 1. भू-राजस्व की बकाया राशि। 2. या फिर जब्त करके और डिफाल्टर की चल प्रोपर्टी बेचकर वसूल की जा सकती है। 3. या फिर डिफाल्टर की प्रोपर्टी अचल अटैच करके का बेचकर। 4. या फिर डिफाल्टर के वाहन (कार, स्कूटर व अन्य वाहन) को काबू करके या बेचकर वसूल कर सकते हैं। 5. अगर हाउस टैक्स किसी भूमि या फिर किसी भवन का है तो उसे अटैच करके उसके किराये को जब्त करके वसूल किया जा सकता है। 6. कोर्ट में केस डालकर।			
Name							
S/D/W/o							
Address Sector 27A, Rohtak							
Mobile							

* नोट: - यह संपत्ति कर बिल एवं नोटिस केवल संपत्ति कर उद्देश्य के लिए है जो संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण नहीं है और किसी दस्तावेज़ के पंजीकरण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। सम्पत्ति मालिकों से अनुरोध है कि वे अपना फोन नंबर अपनी प्रॉपर्टी आई0 डी0 के साथ निगम कार्यालय में दर्ज कराये ताकि सरकार द्वारा समय समय पर दी जाने वाली छूट और नीति परिवर्तन के बारे में अवगत कराया जा सके।

* नगर निगम, रोहतक द्वारा सम्पत्तिकर सर्वे के उपरांत निम्न वर्णित सम्पत्ति का कर आंकलन एवं सूचना जारी की गई है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने की सूरत में सबूत के साथ प्रतिवेदन कर सकते हैं। अन्यथा अपना कर जमा करवायें। कर जमा ना कराने की सूरत में देय राशि पर 1.5 प्रतिशत मासिक ब्याज देना होगा। नगर निगम द्वारा सरकार की हिदायत अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक चालू वित्तीय वर्ष का संपत्तिकर जमा करने पर 10% छूट दी जाएगी बशर्ते उस संपत्ति पर कोई पिछला बकाया ना हो, सरकार द्वारा सम्पत्तिकर के लिए स्वयं आंकलन का प्रावधान भी किया हुआ है, कर दाता अपनी संपत्ति का स्वयं आंकलन सरकार की कर नीति के अनुसार कर सकते हैं, स्वयं आंकलन से कर जमा करने पर कर की गणना में 10% से अधिक भिन्नता पाये जाने पर गलत घोषणा की दशा में कर अंश की राशि के समकक्ष शास्ति उदग्रहीत की जायेगी।

* हरियाणा सरकार की अधिसूचना नम्बर 14/153-2011-4C/दिनांक 24-10-2011 के अनुसार ठोस कूड़ा प्रबन्धन के लिए User Charges लगाये हुए हैं, जिस की गणना निम्न तालिका के कॉलम W व X में वर्णित की गयी है। यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष का अग्रिम user charges जमा करता है तो वह एक वर्ष के user charges पर 10% छूट का पात्र होगा। परन्तु यह छूट प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई तक user charges जमा कराने पर दी जाएगी।

सर्वेक्षण के अनुसार नगर निगम द्वारा लगाए गए करो का विवरण / As per survey, details of the taxes imposed by the Municipal Corporation

Property and Fire Tax Details (Amount in Rupees)

Total Plot Area (Sqr. Yrd)	Floor	Category	Sub Category	Covered Area	Usage (S/R)	Tax Rate (₹)	Property Tax Annual (₹)	Fire Tax Annual (₹)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
450.00	GF	Resi	-	720.00	S	3.000	240.00	0.00
-	GF	Resi	-	3330.00	S	3.000	1110.00	0.00
Total:				4050.00			1350.00	0.00
Payable Annually:							1350.00	

Property Tax Collection & Arrear Detail (Amount in Rupees)

Arrear as on 31/03/2011		Demand from 01/04/2011 to 31/03/2018		Collection from 01/04/2011 to 31/03/2018		Arrear as on 01/04/2018		Interest	Total
P. Tax (₹)	F. Tax (₹)	P. Tax (₹)	F. Tax (₹)	P. Tax (₹)	F. Tax (₹)	P. Tax (₹)	F. Tax (₹)	@1.5% per month (₹)	(₹)
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
0.00	0.00	9450.00	0.00	0.00	0.00	9450.00	0.00	6804.00	16254.00

User Charges Details (Amount in Rupees)

Total Plot Area (Sqr. Yrd)	Property Category	User Charges Rate (monthly) (₹)	User Charges Amt (annual) (₹)	User Charges Amt (annual, if paid by 31/07/2018) (₹)
T	U	V	W	X
450.00	Resi	100	1200	1080

Payment can be deposited at the office of Municipal Corporation, Rohtak, through an A/c payee cheque or a demand draft in favour of, 'Commissioner, Municipal Corporation, Rohtak'. No Cheque will be accepted until the 'Permanent property ID', 'phone number', 'assessment year' is mentioned on the back of cheque.	Property Tax (Y) = (H + P + R):	₹ 17604.00
	10% Rebate if complete amount paid by 31-07-2018:	₹ -135
	Property Tax by 31-07-2018 (Z):	₹ 17469
	Fire Tax (AA) = (I + Q):	₹ 0.00
	Payment Rcvd in 2018-19 (P. Tax + F. Tax + Interest + User Charges) (AB)	₹ 0.00
	Grand Total (X + Z + AA - AB):	₹ 18549
	If paid after 31-07-2018 - Grand Total (W + Y + AA - AB):	₹ 18804

यह बिल कंप्यूटर द्वारा मुद्रित है अतः इस पर नगर निगम, रोहतक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर पूर्व मुद्रित है। This is Computer generated bill, Hence the signature of Authorised Official of M.C. Rohtak is already printed.


नगर निगम, रोहतक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर/
Signature of Authorised Official of M.C. Rohtak



नगर निगम, रोहतक
Municipal Corporation, Rohtak

संपत्ति कर बिल सह नोटिस 2018-19 / Property Tax Bill Cum Notice 2018-19

Property ID	193C8U2	House No		Old Ast./Wrd No.		Ward No.	8
Bill No	MCR/0669404	Bill Date	14/May/2018	Colony Code/Name	193/Sector 27A	Zone	

Particulars of Owner(s)/Occupier(s)				U/S 130 Manner of recovering tax or fee - जो भी राशि जो हाउस टैक्स से सम्बंधित है जोकि U/S 130 अधिनियम के तहत आती है उसकी अदायगी की वसूली जोकि निम्नलिखित तरीकों से की जा सकेगी:- 1. भू-राजस्व की बकाया राशि। 2. या फिर जब्त करके और डिफाल्टर की चल प्रोपर्टी बेचकर वसूल की जा सकती है। 3. या फिर डिफाल्टर की प्रोपर्टी अचल अटैच करके का बेचकर। 4. या फिर डिफाल्टर के वाहन (कार, स्कूटर व अन्य वाहन) को काबू करके या बेचकर वसूल कर सकते हैं। 5. अगर हाउस टैक्स किसी भूमि या फिर किसी भवन का है तो उसे अटैच करके उसके किराये को जब्त करके वसूल किया जा सकता है। 6. कोर्ट में केस डालकर।			
Name							
S/D/W/o							
Address Sector 27A, Rohtak							
Mobile							

* नोट: - यह संपत्ति कर बिल एवं नोटिस केवल संपत्ति कर उद्देश्य के लिए है जो संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण नहीं है और किसी दस्तावेज़ के पंजीकरण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। सम्पत्ति मालिकों से अनुरोध है कि वे अपना फोन नंबर अपनी प्रॉपर्टी आई0 डी0 के साथ निगम कार्यालय में दर्ज कराये ताकि सरकार द्वारा समय समय पर दी जाने वाली छूट और नीति परिवर्तन के बारे में अवगत कराया जा सके।

* नगर निगम, रोहतक द्वारा सम्पत्तिकर सर्वे के उपरांत निम्न वर्णित सम्पत्ति का कर आंकलन एवं सूचना जारी की गई है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने की सूरत में सबूत के साथ प्रतिवेदन कर सकते हैं। अन्यथा अपना कर जमा करवायें। कर जमा ना कराने की सूरत में देय राशि पर 1.5 प्रतिशत मासिक ब्याज देना होगा। नगर निगम द्वारा सरकार की हिदायत अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक चालू वित्तीय वर्ष का संपत्तिकर जमा करने पर 10% छूट दी जाएगी बशर्ते उस संपत्ति पर कोई पिछला बकाया ना हो, सरकार द्वारा सम्पत्तिकर के लिए स्वयं आंकलन का प्रावधान भी किया हुआ है, कर दाता अपनी संपत्ति का स्वयं आंकलन सरकार की कर नीति के अनुसार कर सकते हैं, स्वयं आंकलन से कर जमा करने पर कर की गणना में 10% से अधिक भिन्नता पाये जाने पर गलत घोषणा की दशा में कर अंश की राशि के समकक्ष शास्ति उदग्रहीत की जायेगी।
* हरियाणा सरकार की अधिसूचना नम्बर 14/153-2011-4C/दिनांक 24-10-2011 के अनुसार ठोस कूड़ा प्रबन्धन के लिए User Charges लगाये हुए हैं, जिस की गणना निम्न तालिका के कॉलम W व X में वर्णित की गयी है। यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष का अग्रिम user charges जमा करता है तो वह एक वर्ष के user charges पर 10% छूट का पात्र होगा। परन्तु यह छूट प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई तक user charges जमा कराने पर दी जाएगी।

सर्वेक्षण के अनुसार नगर निगम द्वारा लगाए गए करो का विवरण / As per survey, details of the taxes imposed by the Municipal Corporation

Property and Fire Tax Details (Amount in Rupees)

Total Plot Area (Sqr. Yrd)	Floor	Category	Sub Category	Covered Area	Usage (S/R)	Tax Rate (₹)	Property Tax Annual (₹)	Fire Tax Annual (₹)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
800.00	GF	Resi	-	3600.00	S	4.500	1800.00	0.00
-	GF	Resi	-	3600.00	S	4.500	1800.00	0.00
Total:				7200.00			3600.00	0.00
Payable Annually:							3600.00	

Property Tax Collection & Arrear Detail (Amount in Rupees)

Arrear as on 31/03/2011		Demand from 01/04/2011 to 31/03/2018		Collection from 01/04/2011 to 31/03/2018		Arrear as on 01/04/2018		Interest	Total
P. Tax (₹)	F. Tax (₹)	P. Tax (₹)	F. Tax (₹)	P. Tax (₹)	F. Tax (₹)	P. Tax (₹)	F. Tax (₹)	@1.5% per month (₹)	(₹)
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
0.00	0.00	25200.00	0.00	0.00	0.00	25200.00	0.00	18144.00	43344.00

User Charges Details (Amount in Rupees)

Total Plot Area (Sqr. Yrd)	Property Category	User Charges Rate (monthly) (₹)	User Charges Amt (annual) (₹)	User Charges Amt (annual, if paid by 31/07/2018) (₹)
T	U	V	W	X
800.00	Resi	100	1200	1080

Payment can be deposited at the office of Municipal Corporation, Rohtak, through an A/c payee cheque or a demand draft in favour of, 'Commissioner, Municipal Corporation, Rohtak'. No Cheque will be accepted until the 'Permanent property ID', 'phone number', 'assessment year' is mentioned on the back of cheque.	Property Tax (Y) = (H + P + R):	₹ 46944.00
	10% Rebate if complete amount paid by 31-07-2018:	₹ -360
	Property Tax by 31-07-2018 (Z):	₹ 46584
	Fire Tax (AA) = (I + Q):	₹ 0.00
	Payment Rcvd in 2018-19 (P. Tax + F. Tax + Interest + User Charges) (AB)	₹ 0.00
	Grand Total (X + Z + AA - AB):	₹ 47664
	If paid after 31-07-2018 - Grand Total (W + Y + AA - AB):	₹ 48144

यह बिल कंप्यूटर द्वारा मुद्रित है अतः इस पर नगर निगम, रोहतक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर पूर्व मुद्रित है। This is Computer generated bill, Hence the signature of Authorised Official of M.C. Rohtak is already printed.


नगर निगम, रोहतक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर/
Signature of Authorised Official of M.C. Rohtak